05/7/25

वकुलाय उपन पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थी का प्रा० पत्र साबित करने में असफल रहा। प्रार्थी का प्रा० पत्र साबित होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जावे। आदेश किया गया। पत्रावली मौसूल हुआ होकर नम्बर से कमी हो।

SDM

उपखण्ड अधिकारी

(...)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 2 / 223 / 2024 दायर दिनांक:– 22 / 08 / 2024
जीसीएमएस नं0:– 2024 / 494 निर्णय दिनांक:– 24 / 07 / 2025

बउनवान

1. बृजमोहन पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
2. किरोडीलाल पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
3. गुडडी स्त्री रामेश्वर जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
4. संतोषकुमार पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
5. जितेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
6. सरिता पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
7. तनू पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर

——— सायलान

बनाम

1. लेखराम पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
2. देशराज पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
3. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–श्री भागचन्द जैन –अधिवक्ता सायलान
श्री राधेश्याम चौधरी – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1–2

–::निर्णय::–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 44, 45, 64, 65, ग्राम रींगसपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 2 में सायलान के परिवार का सजरा अंकित किया गया है। विवादित आराजी पक्षकारान की शामलात खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी में सायलान का 1/2 हिस्सा है तथा गैरसायल सं0 1–2 का 1/2 हिस्सा है। खसरा नम्बर 44, 45 के तर्फ पश्चिम को आम रास्ता खसरा नम्बर 29 है जो आम रास्ता उत्तर से दक्षिण जारी

उपखण्ड अधिकारी

है तथा खसरा नम्बर 64, 65 के तरफ पूर्व को खसरा नम्बर 67 आम रास्ता है जो दोनों आम रास्ता उक्त आराजी के संटवा है जो पहुँच मार्ग है। सायलान व गैरसायलान विवादित आराजी पर 1/2–1/2 हिस्से पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही गैरसायल सं0 3 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय कर देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी की पक्षकारान ने अपनी अपनी सुविधानुसार सहमति से काफी समय पहले घरू वंटवारा कर लिया था मुताविक घरू वंटवारा विवादित आराजी पर सायला एंव गैरसायल व अन्य प्रतिवादीगण काविज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी अवट ना होकर मौके पर वहामी तौर पर वंटी हुई है। मुताविक घरू वंटवारा शांति पूर्वक काश्त हो रही है। यदि विवादित आराजी का मौके के वहामी वंटवारा व कब्जा के अनुसार वंटवारा कर दिया जाता है सायल ने अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। सायल एंव गैरसायलान अपने अपने घरू वंटवारे के अनुसार काविज रहकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद नही है सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। गैरसायलान ने सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायल सं0 2 ला0 4 बाबजूद तामील उपस्थित नही आये जिनके विरूद्व दिनांक 04.03.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम कठूमर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायल को पार्थना पत्र मे सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः–विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायल सं0 1 ला0 3 की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जो अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ने अपनी वहस में अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी काफी समय से वंटी हुई है जो अवट ना होकर वटी है तथा मुताविक घरू वंटवारा काश्त हो रही है। केवल राजस्व रिकार्ड में शामलात खातेदारी की दर्ज है। उक्त आराजी अवट ना होकर वंटी हुई है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाव प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायल व गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी सायल व गैरसायलान की शामलात खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त आराजी का अवट व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। सायल विवादित आराजी की हिस्सानुसार सहखातेदार दर्ज है। जिस कारण गैरसायलान को सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व विना तकासमा रहन वय करने का अधिकार नहीं है। विवादित आराजी का घरू वंटवारा हो रहा हो इस तरह का कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायल सायल

उपखण्ड अधिकारी

के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकता है तथा रहन बय कर सकता है। जिससे सायल को नुकशान होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलनः सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों में विवादित आराजी सायल एवं गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान का कथन कि उक्त आराजी मौके पर बंटी हुई है जिस सम्बन्ध में गैरसायलान ने कोई दस्तावेज पेश नही किया है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः–विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायल विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी का अवट होने व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायलान ने सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल को होना संभव है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायल के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–ःआदेशः–

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 194 रकवा 0.92 हे0 181 रकवा 0.53 हे0 184 रकवा 0.28 हे0 187 रकवा 0.18 हे0 ग्राम कठूमर तहसील कठूमर तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 07.05.2018 को मूल दावा के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर